Jan Ghoshna Patra

Panchayati Raj Department

Sr. No.	Announcement Description.	Action Taken by Dept	Status
1	4.1 - श्री राजीव गांधी द्वारा लाये गए 73वें संविधान संशोधन की भावनाओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को साकार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक अर्थों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को अधिकाधिक अधिकार देना।	श्री राजीव गांधी द्वारा लाये गए 73वें संविधान संशोधन की भावनाओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को साकार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़ी गतिविधियां पंचायतों को हस्तान्तरित की जा चुकी है। इस विषय पर विचार कर सुझाव हेतु मंत्रीगण की समिति के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गठन उपरान्त तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।	Task Initiated
2	4.2 - प्रत्येक गांव की सड़कों की मरम्मत करना तथा जहां सड़क नहीं है, वहां RCC (Reinforced Cement Concrete) की नई सड़कें बनाना तथ जल निकास हेतु समुचित Drainage System को विकसित करना।	प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां सडक नहीं है, वहां इंटरलॉकिंग सडक/सीमेंट सडक का निर्माण तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत का डेनेज प्लान तैयार कर जल निकासी का समुचित प्रबन्धन ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कन्वर्जेंस किया जाकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं गांव में ऐसी सडकें जिनकी मरम्मत की जानी आवश्यंक है उनका सर्वे कर योजनान्तर्गत कार्य कराने हेतु जिला परिषदों को निर्देशित किया जा चुका है। अब तक 8715 ग्राम पंचायतों में 29036 कार्य स्वीकृत किये जा चुके है।	Task in Progress
3	4.10 - ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन।	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत पूर्व से ही अभियांत्रिकी सेवा अस्तित्व मं है जिसके अन्तर्गत 389 इंजीनियर कार्यरत है। अतः पृथक से सेवा के गठन की आवश्यकता नही है।	Task Completed
4	4.11 - पंचायती राज चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाया जाएगा।	पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाने का प्रस्ताव को 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में पारित कर दिये जाने के उपरान्त इस बाबत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में आवश्यपक संशोधन कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 को जारी कर दी गई है।	Task Completed

Jan Ghoshna Patra

Sr. No.	Announcement Description.	Action Taken by Dept	Status
5	27.8.04 - अतिक्रमियों पर शिकंजा कसा जायेगा एवं जमीनों के मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिये संबंधित अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं हाउसिंग सोसाइटियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी।	ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष अभियान संचालित कर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये गये है। उक्त् बिन्दु राजस्व विभाग से सम्बन्धित होने के कारण पंचायतीराज विभाग से हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	Task Initiated
6	27.36.01 - शहरों और गांवों में बीमारियों की रोकथाम और पर्यटन की दृष्टि से स्वच्छता हेतु महत्ती कार्य योजना।	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा (संसाधन) हेतु प्रावधान रखा गया है। राज्य की सभी 9894 ग्राम पंचायतों में इस योजना के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त जिले से स्वीकृति जारी कर ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ किया जाना है। राज्य एवं जिला स्तर पर पर्यवेक्षण कर समस्त ग्रामों में नियमित सफाई व्यवस्था, घर-घर कचरा संग्रहण, पृथक्कीरण एवं निस्तारण के कार्य किये जा रहे है । ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल संसाधन प्रबन्धन (SLRM) हेतु कुल 9894 ग्राम पंचायतों में से 8493 SLRM प्रोजेक्ट SLSSC से राज्य द्वारा अनुमोदित किये गये है, जिनमें से जिलों द्वारा 2155 ग्राम पंचायतों के कार्य स्वीकृत किया जाकर कार्य प्रारम्भ किये जा रहे है।	Task in Progress
7	23.2.01 - घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. में चयनित कर निःशुल्क आवासीय पट्टा।	राजस्थाेन पंचायती राज नियम 158 के तहत घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. में चयनित कर निःशुल्क आवासीय पटटे जारी किये जा रहे है। अब तक 2298 बी.पी.एल. पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क आवासीय पटटे जारी किये जा चुके हैं	Continuous Nature

Jan Ghoshna Patra

Sr. No.	Announcement Description.	Action Taken by Dept	Status
8	1.16 - बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु आवश्यक प्रयास करना, जिससे कि उस भूमि को भूमिहीन एवं सीमांत किसानों हेतु सामुदायिक कृषि हेतु आवंटित किया जा सके।	राज्य की अकृषि योग्य भूमि को जलग्रहण की विभिन्न गतिविधियों द्वारा कृषि योग्य भूमि बनाने हेतु चरणबद्ध रूप से जलग्रहण आधार पर कार्य करवाने हेतु वर्तमान में विभाग द्वारा निश्चित किये गये मापदण्डों के अनुरूप 295 ब्लॉक्स में 3963 ग्राम को वाटरशेड आधार पर चिन्हित किया गया है, जिसमें अन्य विभागों से कन्वर्जेन्स कर भारत सरकार से स्वीकृत आई.डब्ल्यु.एम.पी. परियोजनान्तर्गत 47 ब्लॉक्स में एवं अन्य विभागों से कन्वर्जेन्स कर राज्य मद से 248 ब्लॉक्स में कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं में समावेशित अकृषि भूमि (बंजर भूमि) को चारागाह, वृक्षारोपण एवं फलदार पौधे एवं अन्य उपयोग हेतु विकसित किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा बजट 2019–20 में राजीव गॉधी जल संचय योजना प्रारम्भ की है। इस योजना में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य भी सम्मिलित है। योजना के प्रथम चरण में 3963 गांवों मे दो वर्षों में कार्य सम्पादित करवाये जावेगें। परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जा रही है,विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उन के तकनीकी परिक्षण का कार्य प्रगति पर है।	Task in Progress
9	5.9 - जल पुनर्भरण तंत्र (Water Recharge System) एवं जल संचयन तंत्र (Water Harvesting System) को प्रभावी बनाना।	1-राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तुत परिवर्तित बजट के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 105 के अनुसार जनता में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना, परम्परागत पेयजल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने, नवीन स्त्रोतों के निर्माण एवं सघन वृक्षारोपण के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना प्रारम्भ की गई है, योजना मे छोटे बांध, तालाब, ऐनिकट, टॉको एवं जल कुण्डो का निर्माण एवं जिर्णोद्वार के कार्य सम्पादित करवाए जावेगें। योजना के प्रथम चरण में 3963 गांवों मे जल संग्रहण एवं जल/नमी संरक्षण के कार्य दो वर्षों में सम्पादित करवाये जावेगें। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उन के तकनीकी परिक्षण का कार्य प्रगति पर है।	Task in Progress